कुनणचन्द बनाम गोपालराम आदि
2021 / 25
निर्णय दिनांकः–09.03.2026

सत्यमेव जयते

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चूरू (चूरू)
(पीठासीन अधिकारी : श्री सुनील कुमार–I आर.ए.एस.)

प्रार्थना पत्र सं. : 2021 / 25 दर्ज दिनांक : 19.07.2021

1. कुनणचन्द पुत्र झिंडुराम जाति मैघवाल निवासी गाजसर तहसील व जिला चूरू
2. भीवाराम पुत्र झिंडुराम जाति मैघवाल निवासी गाजसर तहसील व जिला चूरू
3. नारायणराम पुत्र रतनाराम जाति मैघवाल निवासी गाजसर तहसील व जिला चूरू

–प्रार्थी–

बनाम

1. गोपालराम पुत्र खीवाराम जाति जाट निवासी गाजसर तहसील व जिला चूरू
2. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार महोदय,चूरू

–अप्रार्थीगण–

3. स्व.भंवरलाल पुत्र रतनाराम जाति मैघवाल निवासी गाजसर तहसील व जिला चूरू

3/1 भंवरी पत्नी स्व. भंवरलाल जाति मैघवाल निवासी गाजसर तहसील व जिला चूरू
3/2 विनोद पुत्री स्व. भवरलाल जाति मैघवाल निवासी गाजसर तहसील व जिला चूरू
3/3 चुकीया पुत्री स्व. भंवरलाल जाति मैघवाल निवासी गाजसर तहसील व जिला चूरू
3/4 सन्तोष पुत्री स्व. भंवरलाल जाति मैघवाल निवासी गाजसर तहसील व जिला चूरू

4. नाथी पुत्री स्व. रतनाराम जाति मैघवाल निवासी गाजसर तहसील व जिला चूरू
5. तारामणी पुत्री रतनाराम जाति मैघवाल निवासी गाजसर तहसील व जिला चूरू
6. आई.डी.बी.आई. बैंक लि. कौर्पोरेट शाखा बीकानेर जरिए प्रबन्धक

–गौण अप्रार्थीगण–

उपस्थित अधिवक्ता
प्रार्थीगणः–श्री सुरेन्द्र डुडी
अप्रार्थीगणः–श्री महावीर प्रसाद वर्मा

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा–251 ए
राजस्थान काश्तकारी अधि.–1955

–:निर्णय:–

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:24:36 IST
Reason: SelfAttested

1. आज यह पत्रावली [illegible] राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रकरण का सु[illegible] प्रकार से है कि प्रार्थीगण संख्या 1 व 2 की कृषि भूमि ख.नं. 544 [illegible] जा गाजसर तहसील चूरू में स्थित है जिसमें प्रार्थी संख्[illegible] का व प्रार्थी संख्या 2, 1[illegible] सा का खातेदार काबिज काश्तकार है तथा प्रार्थी संख्या 3 [illegible] गौण अप्रार्थीगण संख्या 3[illegible] की कृषि भूमि ख.

उप खण्ड अधिकारी
चूरू

नं. 546/466 तादादी 0.7588 व कृषि भूमि ख.नं. 542/465 तादादी 3.6169 हैक्टेयर रोही मौजा गाजसर तहसील चूरू में स्थित है जिस पर प्रार्थी संख्या 3 व गौण अप्रार्थीगण संख्या 3 ता 5 बतौर खातेदार काबिज काश्तकार चले आ रहे है जिनके पिता रतनाराम का स्वर्गवास हो चुका है उनके स्थान पर प्रार्थी संख्या 3 व गौण अप्रार्थीगण संख्या 3 ता 5 का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज होना है इस हेतु कार्यवाही जेरकार है।

2. अप्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी कब्जा काश्त की कृषि भूमि ख.नं. 873/468 तादादी 3.3007 हैक्टेयर रोही मौजा गाजसर तहसील चूरू प्रार्थी संख्या 3 व गौण अप्रार्थीगण संख्या 3 ता 5 के चिपती हुई दक्षिणी तरफ स्थित है।
3. प्रार्थीगण की खातेदारी कब्जा काश्त की ऊपर वर्णित कृषि भूमि में आवागमन का सदामत से पीढ़ियो से एक मात्र रास्ता गांव गाजसर से चलकर तारानगर बाई पास सड़क से होता हुआ अप्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी कब्जा काश्त की कृषि भूमि ख.नं. 873/468 मे से होकर उत्तरी तरफ स्थिति प्रार्थीगण के खेतो का रहा है उक्त रास्ता गांव से चलकर तारानगर बाई पास सड़क से होकर उक्त सड़क से फंटकर अप्रार्थी संख्या 1 की कृषि भूमि ख.नं. 873/468 में होकर प्रार्थी संख्या 3 व गौण अप्रार्थीगण संख्या 3 ता 5 की कृषि भूमि ख.नं. 542/465 से होता हुआ ख.नं. 546/466 में प्रवेश कर प्रार्थीगण संख्या 1 व 2 की कृषि भूमि में कायम हक हिस्सा के बीच बनी सींव के मध्य पीढियो से चलता आया है वो आज भी मौके पर कायम है उक्त रास्ते के अलावा अन्य कोई रास्ता प्रार्थीगण के खेतो का न तो कभी रहा है व न आज है।
4. प्रार्थीगण की उपर वर्णित कृषि भूमियो में आवागमन का ऊपर वर्णित रास्ता मौका पर मौजूद होते हुए भी राजस्व रिकार्ड में कटा हुआ नही होने से प्रार्थीगण को काश्त का मौसम शुरू होते ही परेशानिया शुरू हो जाती है व रास्ता की चौड़ाई बाबत विवाद होने की सम्भावनाए अप्रार्थी संख्या 1 के साथ बढ़ जाती है।
5. वर्तमान समय में कृषि भूमि को काश्त करने व अन्य कार्यो के लिए नई तकनिक व नये उपकरण व साधन आ गये है कृषि भूमि में खाद वगैरह डलवाने के लिए व कृषि उपज को घर लाने व बाजार ले जाने हेतु ऊंटगाडा व ट्रेक्टर वगैरह को कृषि भूमियो में लाना ले जाना पड़ता है टेक्टर से कृषि भूमि की जुताई होने लग गई है इसलिए भी ट्रेक्टर को कृषि भूमि में लाना ले जाना पड़ता है इस हेतु चौड़े रास्ते की आवश्यकता हो गई है जिसके लिए साढे 16 फुट (2 गट्ठा) चौड़ा रास्ता राजस्व रिकार्ड में कटवा कर मौका पर लम्बाई चौड़ाई कायम करवाते हुए उक्त रास्ते का अंकन राजस्व रिकार्ड मे करवाये व रास्ता की निशानदेही लेवे इस हेतु यह प्रार्थना पत्र पेश किया जा रहा है।
6. प्रार्थीगण ने अप्रार्थी संख्या 1 को कई बार कहा व दूसरो से भी कहलवाया कि वो प्रार्थीगण के साथ चलकर प्रार्थीगण के खेतो में पीढियो से आवागमन का रास्ता जो आपकी कृषि भूमि मे से रहा है को राजस्व रिकार्ड में कटवा कर मौका पर लम्बाई चौड़ाई कायम करवाते हुए राजस्व रिकार्ड में अंकन करवाये पहले तो अप्रार्थी हाँ हूँ करता रहा आखिर में दिनांक 12.7.2021 को ऐसा करने से स्पष्ट रूप से इन्कार हो गया प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र में वर्णित कृषि भूमियो के खातेदार काबिज काश्तकार होने से व अप्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी की भूमि मे से प्रार्थीगण का रास्ता होने से उक्त रास्ता को राजस्व रिकार्ड में कटवा कर राजस्व रिकार्ड में अंकित करवाने के विधिक अधिकारी होने से इस प्रार्थना पत्र के प्रति प्रार्थीगण को आधार प्राप्त है तथा अप्रार्थी संख्या 1 के द्वारा दिनांक 12.7.2021 को की गई स्पष्ट इन्कारी की तिथि से प्रार्थीगण को इस प्रार्थनापत्र के [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:24:36 IST
Reason: SelfAttested

उप खण्ड अधिकारी
चूरू

7. प्रार्थी संख्या 3 व गौण अप्रार्थीगण संख्या 3 ता 5 की कृषि भूमिया अप्रार्थी सं. 1 की कृषि भूमि के चिपती हुई उतर की तरफ है ऐसी सूरत में प्रार्थी संख्या 3 व गौण अप्रार्थीगण संख्या 3 ता 5 अप्रार्थी संख्या 1 की भूमि जो रास्ता में जानी है के बदले अपनी कृषि भूमि मे से अप्रार्थी संख्या 1 को मुताबिक विधिक प्रावधान के देने के लिए तैयार है अगर अप्रार्थी सं. 1 ऐसा न चाहे तो विधिक प्रावधानो के अनुसार रास्ता में जाने वाली भूमि की डी.एल.सी. रेट के अनुसार निर्धारित की जाने वाली राशि देने के लिए तैयार है । प्रार्थी संख्या 3 ने स्वयं ने रास्ता को राजस्व रिकार्ड में कटवा कर राजस्व रिकार्ड में रास्ता का अंकन करवाने की इस्तदुआ की है इसलिए अपनी कृषि भूमि मे से प्रार्थीगण संख्या 1 व 2 की कृषि भूमि में जाने वाले रास्ता हेतु जानी वाली भूमि की कोई राशि नही चाही है।

8. प्रार्थनापत्र से सम्बन्धित प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 1 की कृषि भूमियों का राजस्व रिकार्ड अप्रार्थी सं. 2 के पावर व पजेशन में है तथा प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र स्वीकार होने की सूरत में मुताबिक आदेश के सारी कार्यवाही अप्रार्थी संख्या 2 के द्वारा की जानी है अप्रार्थी संख्या 2 के विरूद्ध प्रार्थीगण ने कोई नुकसान प्रद अनुतोष नही चाहा है इसलिए अप्रार्थी संख्या 2 को धारा 80 सी पी सी का नोटिस दिए बिना ही ये प्रार्थना पत्र अप्रार्थी सं. 2 को पक्षकार बनाते हुए पेश किया जा रहा है अप्रार्थी संख्या 1 की कृषि आई.डी.बी.आई. बैंक लि. शाखा कोटगेट बीकानेर के यहा रहन है इस लिए उक्त बैंक को इस प्रार्थना पत्र में गौण अप्रार्थी सं. 6 बनाया गया है गौण अप्रार्थीगण संख्या 3 ता 5 प्रार्थना पत्र पेश करते समय मौजूद नही होने के कारण से उन्हे प्रार्थना पत्र मे गौण अप्रार्थीगण संख्या 3 ता 5 बनाया गया है।

9. प्रार्थीगण की कृषि भूमि में आवागमन हेतु पीढियो से चले आ रहे रास्ता को जो अप्रार्थी संख्या 1 की कृषि भूमि मे से जाता है तथा आगे प्रार्थी संख्या 3 व गौण अप्रार्थीगण संख्या 3 ता 5 की कृषि भूमि मे से गुजरता है का नजरी नक्शा बनाकर इस प्रार्थना पत्र के साथ पेश किया जा रहा है जो अनरेक्सर 'क' है जिसको प्रार्थना पत्र का भाग समझा जावे।

10. प्रार्थना पत्र से सम्बन्धित कृषि भूमियाँ श्रीमानजी के अधिकार क्षेत्र से सम्बन्धित होने के कारण से इस प्रार्थना पत्र के प्रति श्रीमानजी को हर प्रकार से श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार प्राप्त है प्रार्थनापत्र उचित कोर्ट फीस पर अन्दर मियाद पेश है ।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण मय शपथ पत्र पेश कर अर्ज है कि प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थीगण संख्या 1 व 2 की खातेदारी की कृषि भूमि ख.नं. 544/466 तादादी 6.9682 हैक्टेयर रोही मौजा गाजसर तहसील चूरू जिसमें प्रार्थी संख्या 1 का 191/1102 हिस्सा व प्रार्थी सं. 2 का 1/2 हिस्सा है तथा प्रार्थी संख्या 3 व गौण अप्रार्थीगण सं. 3 ता 5 की खातेदारी कब्जा काश्त की कृषि भूमि ख.न. 542/465 व 546/466 रोही मौजा गाजसर तहसील चूरू में आवागमन का पीढियो से चला आ रहा रास्ता जो गांव गाजसर से चलकर तारानगर बाई पास सड़क से होता हुआ उक्त सडक से फंटकर अप्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी कब्जा काश्त की भूमि ख.नं. 873/468 रोही मौजा गाजसर तहसील चूरू मे से होता हुआ आगे प्रार्थी संख्या 3, गौण अप्रार्थीगण संख्या 3 ता 5 की खातेदारी कब्जा काश्त की कृषि भूमि ख.नं. 542/465, 546/466 रोही मौजा गाजसर मे से होता हुआ प्रार्थी संख्या 1 व प्रार्थी संख्या 2 के हक हिस्सा के बीच बनी सींव के मध्य में प्रवेश करता है को राजस्व रिकार्ड में साढे 16 फुट (2 गड्ढा) [illegible] रास्ता का अंकन राजस्व रिकार्ड में किए जाने का व मौका पर उक्त रास्ता की [illegible] चौडाई कायम कर निशानदेही दिये जाने का आदेश फरमावे ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:24:36 IST
Reason: SelfAttested

उप खण्ड अधिकारी

11. प्रार्थना–पत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर होकर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया जिस पर तामील के बावजूद अप्रार्थी संख्या 01, 06 की ओर से कोई उपस्थित नहीं आया इसलिए इनके खिलाफ एक पक्षीय कार्यवाही की गई तथा अप्रार्थी संख्या 03 से 05 की ओर से अधिवक्ता महावीर प्रसाद वर्मा ने उपस्थित होकर वकालतनामा पेश किया तथा जवाब प्रार्थना–पत्र पेश किया जो इस प्रकार है।

जवाब

12. उपरोक्त अनवानी प्रार्थनापत्र का गौण अप्रार्थीगण सं. 3, 4 व 5 की और से जवाब निम्न प्रकार है–

1. यह कि प्रार्थनापत्र की मद सं. 1 सही लिखी होने के कारण स्वीकार है।
2. यह कि प्रार्थनापत्र की मद सं. 2 सही लिखी होने के कारण स्वीकार है।
3. यह कि प्रार्थनापत्र की मद सं. 3 सही लिखी होने के कारण स्वीकार है।
4. यह कि प्रार्थनापत्र की मद सं. 4 सही लिखी होने के कारण स्वीकार है।
5. यह कि प्रार्थनापत्र की मद सं. 5 सही लिखी होने के कारण स्वीकार है।
6. यह कि प्रार्थनापत्र की मद सं. 6 में प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थी सं. 1 के साथ चल कर 16.5 फुट का रास्ता कटवाना अप्रार्थी सं 1 द्वारा इनकार करने की बाते जानकारी के अभाव में स्वीकार नही जो अस्वीकार की जाती है। बाकी के तमाम तथ्य कानुनी है जबाब की आवश्यकता है।
7. यह कि प्रार्थनापत्र की मद सं. 7 सही लिखी होने के कारण स्वीकार है।
8. यह कि प्रार्थनापत्र की मद सं. 8 सही लिखी होने के कारण स्वीकार है।
9. यह कि प्रार्थनापत्र की मद सं. 9 सही लिखी होने के कारण स्वीकार है।
10. यह कि प्रार्थनापत्र की मद सं. 10 सही लिखी होने के कारण स्वीकार है।

विशेष कथन

11. यह कि प्रार्थीगण सं. 1 व 2 की खातेदारी की कृषि भूमि खसरा नं. 544/466 तादादी 6.9682 है. रोही मोजा गाजसर तहसली व जिला चूरू तथा प्रार्थी सं. 3 ता 5 की चातेदारी कब्जा काश्त की कृषि भूमि खसरा नं. 542/465 व ख.न. 546/466 रोही मोजा गाजसर तहसील व जिला चूरू में आवागमन का पीढियों से चला आ रहा रास्ता जो गांव गाजसर से चल कर तारनगर-बाईपास रोड़ से होता हुआ उक्त सड़क से फंट कर अप्रार्थी सं. 1 की खातेदारी कब्जा कास्त की कृर्षि भूमि ख. न. 873/468 रोही मोजा गाजसर तहसील व जिला चूरू में से होता हुआ आगे प्रार्थी सं. 3 गोण अप्रार्थीगण सं. 3 ता 5 की खातेदारी कब्जा कास्त की कृषि भूमि ख.नं. 542/465,546/466 रोही मोजा गाजसर मे से होता हुआ प्रार्थी सं. 1 व प्रार्थी सं. 2 के हक हिस्सा के बीच बनी सींव के मध्य में प्रवेश करता है को राजस्व रिकार्ड में साढे 16 फुट (2गठा) चौड़ा रास्ता काटा जा कर रास्ता का अंकन राजस्व रिकार्ड में करने में व मौका पर उक्त रास्ता की लम्बाई चौड़ाई कायम कर निशान देही दिये जाने में हम गौण अप्रार्थीगण का काई आपति एतराज नही है।

अतः जबाब प्रार्थनापत्र पेश कर अर्ज हे कि प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण मुताबिक अनुतोष के स्वीकार किए जाने में हम गौण अप्रार्थीगण को काई आपति एतराज नही है।

तहसीलदार रिपोर्ट

13. प्रार्थना–पत्र संख्या 25/2021 धारा 251ए आरटीए अनुवानी कुनणचन्द बनाम गोपालराम आदि में बिन्दुवार मौका रिपोर्ट [illegible]

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:24:36 IST
Reason: SelfAttested

1. अंशधारकों की उप[illegible] प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है।
2. आवेदक की अराजी [illegible] वैकल्पिक रास्ता नहीं है।

उप खण्ड अधिकारी
चूरू
उप खण्ड अधिकारी

3. आवेदक को नवीन रास्ते की अत्यन्त आवश्यकता है।
4. आवेदक द्वारा प्रस्तावित मार्ग में कोई निर्माण भवन, बोरवेल वृक्ष इत्यादि नहीं है। नजरी नक्शा साथ में संलग्न है।
5. आवेदक के खसरे में पहुंचने के लिए लघुतम/निकटतम रास्ता जो नजरी नक्शे में प्रस्तावित किया गया है।
6. प्रस्तावित रास्ते में आने वाले खातेदार के नाम मय खसरा नम्बर (खसरा नम्बर 873/468 रकबा 3.3007 है श्री गोपालराम पुत्र खींवाराम जाति जाट निवासी गाजसर), (खसरा नम्बर 542/465 रकबा 3.6169 है0 व 546/466 रकबा 0.7588 है0 श्री रतनाराम पुत्र मोहनराम जाति मेघवाल निवासी गाजसर के नाम दर्ज है)।
7. प्रार्थी व अप्रार्थीगण में प्रस्तावित मार्ग बाबत् आपसी सहमति नहीं है, उपरोक्त दोनो खातेदार में से एक खातेदार श्री गोपालराम पुत्र खींवाराम जाति जाट निवासी गाजसर ने अपने खेत में से कोई रास्ता नहीं होना बताया है, दूसरे खातेदार रतनाराम पुत्र मोहनराम जाति मेघवाल जो कि फौत हो चुका है, उनके पुत्र नारायण पुत्र रतनाराम ने खेत में से रास्ते बाबत् सहमति प्रकट की है।
8. उक्त प्रस्तावित मार्ग में खातेदार श्री गोपालराम पुत्र खींवाराम जाति जाट निवासी गाजसर के खसरा नम्बर 873/468 तादादी 3.007 है0 में से 470 फुट लम्बाई X 16.5 फुट चौड़ाई =7755 वर्गफुट व दूसरे खातेदार रतनाराम पुत्र मोहनराम जाति मेघवाल निवासी गाजसर के खसरा नम्बर 542/465 तादादी 3.6169 है0 में 297 वर्गमीटर व खसरा नम्बर 546/466 तादादी 0.7588 है0 में 215 फुट लम्बाई X 16.5 फुट चौड़ाई =3547.5 वर्गफुट भूमि आती है।

14. अधिवक्ता उभय पक्ष की बहस सुनी गई। प्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थीगण संख्या 1 व 2 की खातेदारी की कृषि भूमि ख.नं. 544/466 तादादी 6.9682 हैक्टेयर रोही मौजा गाजसर तहसील चूरू जिसमें प्रार्थी संख्या 1 का 191/1102 हिस्सा व प्रार्थी सं. 2 का 1/2 हिस्सा है तथा प्रार्थी संख्या 3 व गौण अप्रार्थीगण सं. 3 ता 5 की खातेदारी कब्जा काश्त की कृषि भूमि ख.न. 542/465 व 546/466 रोही मौजा गाजसर तहसील चूरू में आवागमन का पीढियो से चला आ रहा रास्ता जो गांव गाजसर से चलकर तारानगर बाई पास सड़क से होता हुआ उक्त सड़क से फंटकर अप्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी कब्जा काश्त की भूमि ख.नं. 873/468 रोही मौजा गाजसर तहसील चूरू मे से होता हुआ आगे प्रार्थी संख्या 3, गौण अप्रार्थीगण संख्या 3 ता 5 की खातेदारी कब्जा काश्त की कृषि भूमि ख.नं. 542/465, 546/466 रोही मौजा गाजसर मे से होता हुआ प्रार्थी संख्या 1 व प्रार्थी संख्या 2 के हक हिस्सा के बीच बनी सींव के मध्य में प्रवेश करता है को राजस्व रिकार्ड में साढे 16 फुट (2 गट्ठा) चौड़ा रास्ता काटा जाकर उक्त रास्ता का अंकन राजस्व रिकार्ड में किए जाने का व मौका पर उक्त रास्ता की लम्बाई चौड़ाई कायम कर निशानदेही दिये जाने का आदेश फरमावे। अप्रार्थीगण संख्या 3, 4, 5 के अधिवक्ता ने दौराने बहस प्रार्थीगण सं. 1 व 2 की खातेदारी की कृषि भूमि खसरा नं. 544/466 तादादी 6.9682 है. रोही मोजा गाजसर तहसली व जिला चूरू तथा प्रार्थी सं. 3 ता 5 की खातेदारी कब्जा काश्त की कृषि भूमि खसरा नं. 542/465 व ख.न. 546/466 रोही मोजा गाजसर तहसील व जिला चूरू में आवागमन का पीढियों से चला आ रहा रास्ता जो गांव गाजसर से चल कर तारानगर बाईपास रोड से होता हुआ उक्त सड़क से फंट कर अप्रार्थी सं. 1 की खातेदारी कब्जा काश्त की कृषि भूमि ख. न. 873/468 रोही मोजा गाजसर तहसील व जिला चूरू मे से होता हुआ आगे प्रार्थी सं. 3 गोण अप्रार्थीगण सं. 3 ता 5

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:24:36 IST
Reason: SelfAttested

उप खण्ड अधिकारी
चूरू

की खातेदारी कब्जा कास्त की कृषि भूमि ख.नं. 542/465,546/466 रोही मोजा गाजसर मे से होता हुआ प्रार्थी सं. 1 व प्रार्थी सं. 2 के हक हिस्सा के बीच बनी सींव के मध्य में प्रवेश करता है को राजस्व रिकार्ड में साढे 16 फुट (2गठा) चौड़ा रास्ता काटा जा कर रास्ता का अंकन राजस्व रिकार्ड में करने में व मौका पर उक्त रास्ता की लम्बाई चौड़ाई कायम कर निशान देही दिये जाने में हम गौण अप्रार्थीगण का काई आपति एतराज नही है।

15. प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा 251–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत अपनी कृषि भूमि तक आवागमन हेतु रास्ता अंकित करवाने बाबत् प्रस्तुत किया गया है। प्रकरण के अभिलेख, पक्षकारों के कथन, प्रस्तुत दस्तावेजों एवं तहसीलदार रिपोर्ट का सूक्ष्म परीक्षण किया गया। विचारणीय बिंदु यह है कि क्या प्रार्थीगण को प्रस्तावित मार्ग के लिए आत्यन्तिक आवश्यकता है या नहीं। अभिलेखों के अवलोकन से यह तथ्य परिलक्षित होता है कि प्रार्थीगण द्वारा स्वयं यह कथन किया गया है कि उक्त मार्ग पूर्व से (सदामती/पीढ़ियों से) मौजूद है। मौके पर आवागमन हेतु रास्ता विद्यमान है। इस प्रकार यह सिद्ध नहीं होता कि प्रार्थीगण पूर्णतः रास्ते से वंचित हैं अथवा उनके पास कोई अन्य उपयोग योग्य मार्ग उपलब्ध नहीं है। धारा 251 ए के अंतर्गत राहत प्रदान करने हेतु यह आवश्यक है कि प्रार्थी यह सिद्ध करें कि उन्हें अपने खेत तक पहुंचने के लिए कोई अन्य वैकल्पिक या विद्यमान रास्ता उपलब्ध नहीं है तथा मार्ग की आवश्यकता आत्यन्तिक है। वर्तमान प्रकरण में, जब स्वयं प्रार्थीगण के कथनों एवं उपलब्ध रिकॉर्ड से यह स्पष्ट है कि रास्ता पूर्व से मौजूद है और उसका उपयोग किया जा रहा है तब नए सिरे से रास्ते की मांग धारा 251 ए के प्रावधानों के अंतर्गत स्वीकार्य नहीं है। अतः यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि प्रार्थीगण आत्यन्तिक आवश्यकता सिद्ध करने में असफल रहे हैं। अतः

आदेश

रास्ते की आत्यांतिक आवश्यकता नहीं होने के कारण धारा 251–A राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के प्रावधानों के अन्तर्गत नहीं करने के कारण प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र खारिज किया जाता है तथा पत्रावली को अभिलेखागार में दफ्तर दाखिल किया जाये।

यह आदेश आज दिनांक 09.03.2026 को लिखवाया जाकर सरे–इजलास सुनाया गया एवं अधोहस्ताक्षरकर्ता की मुहर व हस्ताक्षर से जारी किया गया।

(सुनील कुमार– I) RAS
उपखण्ड अधिकारी चूरू (चूरू)

उप खण्ड अधिकारी
चूरु

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:24:36 IST
Reason: SelfAttested